

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर।

क्रमांक : एफ 1(15)/निवियो/2020/ 6215

जयपुर, दिनांक 31/7/2020

विषय : स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से विशेष योग्यजनों हेतु संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में कार्यरत मानदेय कर्मियों के मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि।
प्रसंग : पूर्व में जारी समसंख्यक पत्रांक 71749 दिनांक 14.09.2011

स्वैच्छिक ऐजेन्सियों के सहायता अनुदान नियम 1972 के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों हेतु निर्धारित मानदेय की दरों हेतु प्रासंगिक आदेश से मानदेय का निर्धारण किया गया था। वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर निदेशालय से अनुदानित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों में कार्यरत मानदेय कर्मियों के मानदेय में निम्नानुसार 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दिनांक 01.08.2020 से, पूर्व शर्तों के अध्यक्षीन की जाती है :-


मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह :-

क्र.सं.	पद	वर्तमान दर (प्रतिमाह)	दिनांक 01.08.2020 से प्रभावी दर (प्रतिमाह)
1	प्रोजेक्ट सुपरवाइजर	8200	10250
2	केयर टेकर	4000	5000
3	रसोईयां	4050	5062
4	सहायक/आया	4050	5062
5	पार्ट टाइम चिकित्सक (2 घण्टे की विजिट माह में 10 विजिट)	5900	7375
6	नर्सिंग कर्मचारी	4650	5812
7	चौकीदार	4050	5062

1. संस्था द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों में कार्यरत मानदेय कर्मियों को प्रतिमाह देय मानदेय का भुगतान उनके नाम से खुले बचत खाते के माध्यम से करना होगा।

नोट :-अन्य शर्तें एवं प्रावधान पूर्वानुसार रहेंगे।

पूर्व निर्धारित स्कीम/नॉर्मस में यह वृद्धि आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई. डी. संख्या 162000533 दिनांक 16.07.2020 के आधार पर प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


(गजानन्द शर्मा)
31/7/2020

आयुक्त
एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ 1(15)/निवियो/2020/ 6216-92

जयपुर, दिनांक : 31/7/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1 विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिवालय, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आई. डी. संख्या 162000533 दिनांक 16.07.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
- 6 समस्त जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....
- 7 अध्यक्ष/मंत्री/सचिव,.....
- 8 आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक